R. 5260-[illegible]/15

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर ,सर्किट बोर्ड रीवा॥म0प्र0॥

श्रीमती सुमिया, आयु 55 वर्ष, आत्मजा स्व0 श्री बेलू उर्फ बेलुआ कुम्हार, पत्नी श्री रामबहोर, पेशा-मजदूरी, निवासी- व डाकघर नरदहा, थाना हस्तोमंदिर, जिला-रायपुर॥छ0ग0॥ : वर्तमान निवासिनी, डाकघर, आरक्षी केन्द्र व तह0 बुढ़ार॥ वार्ड क्र. 2 पंचवटी मोहल्ला॥ जिला-शहडोल॥म0प्र0॥

---पुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थिया

प्रति

1. श्री मोहन प्रसाद, आयु 52वर्ष, आत्मज स्व0 श्री बेलू उर्फ बेलुआ कुम्हार, पेशा-अस्थाई नौकरी,
2. श्रीमती राधा आयु 44 वर्ष, पत्नी स्व0 श्री जनकू कुम्हार
3. श्री ज्वाला, आयु 20 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री जनकू कुम्हार
4. श्री छोटू, आयु 09 वर्ष,आत्मज स्व0 श्री जनकू कुम्हार अवयस्क द्वारा वली माँ श्रीमती राधा बाई आयु 44 वर्ष, पत्नी स्व0 श्री जनकू कुम्हार

निवासी, डाकघर, आरक्षी केन्द्र एवं तहसील- बुढ़ार, वार्ड क्र. 2॥पंचवटी मोहल्ला॥ जिला शहडोल॥म0प्र0॥

--गैर पुनरीक्षणकर्तागण/उ0दा0गण

न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील बुढ़ार, तह0 सोहागपुर जिला शहडोल॥म0प्र0॥ के रा0प्र0क्र0 07/अ6/2006-07 मोहन प्रसाद बनाम श्रीमती राधा बाई वगैरह बावत् मौजा बुढ़ार को स्वीकृत करने के आदेश दिनांक 11.12.2006 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, जिला-शहडोल॥म0प्र0॥ के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील क्रमांक 03/अपील/2007-08 श्रीमती सुमिया बनाम मोहन प्रसाद वगैरह को निरस्त करने के आदेश दिनांक 28.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक 223/अपील/2012-13 श्रीमती सुमिया बनाम श्री मोहन प्रसाद वगैरह को न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा दिनांक 21.06.2013 को निरस्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अं. धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959

श्री पुष्पेन्द्र [illegible] पेश किया गया 28.12.15

28.12.15 कार्यालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

1. यहकि पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिया ने न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, जिला-शहडोल - जिसे आगे "प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय" कहा जाता है - के समक्ष न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार उप तह0 बुढ़ार, जिला-शहडोल॥म0प्र0॥ - जिसे आगे "विचारण न्यायालय" कहा जाता है - के रा0प्र0क्र0 7/अ6/2006-07 मोहन बनाम राधा वगैरह को स्वीकृत करने के आदेश दिनांक 11.12.2006 के विरूद्ध अपील ज्ञापन दिनांक

सुमिया

॥दाएं हाथ का अं. चि. सुमिया॥

/2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5260–तीन/2016 जिला शहडोल

सुमिया वगैरह विरूद्ध मोहनप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–2–2016	आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण कमांक 223/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ आवेदक अभिभाषक ने म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21–6–13 के विरूद्ध 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदिका के विद्वान अभिभाषक ने म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में आवेदिका के पढी लिखी न होकर विधवा महिला होने का आधार बताया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु दिन प्रतिदिन का समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही निगरानी को समय–सीमा में मान्य किया जा सकता है। अपर आयुक्त ने उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुनने के पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित किया है। आवेदिका के अभिभाषक विलम्ब के संबंध मे समाधानकारक कारण नहीं दर्शाने के कारण यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	